न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या – 129/2016
निर्णय दिनांक– 23.04.2018

उनवान

1. हनुमान पुत्र कजोड जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. किशन उर्फ रामकिशन पुत्र कजोड जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थीगण

बनाम

1. बुद्विप्रकाश पुत्र कल्ला जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. नरसी पुत्र कल्ला जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. जगराम पुत्र कल्ला जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
4. मानसिंह पुत्र कल्ला जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
5. कविता पत्नी मानसिंह जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
6. रामघणी पत्नी कल्ला जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
7. कल्ला पुत्र नन्दपाल जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
8. प्रेम पत्नी बुद्विप्रकाश जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
9. तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थितः– श्री बी0यू0खान वकील प्रार्थीगण
श्री बेणीप्रसाद मीना वकील प्रतिपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 5 रकबा 1.45 है0 ग्राम करवाडियां खास तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। उक्त आराजी पुश्तैनी है तथा प्रार्थीगण को विरासत मे मिली है। जिससे प्रतिपक्षीगण का कोई सम्बन्ध नही है। उक्त आराजीया तमे प्रार्थीगण की फसल है तथा प्रतिपक्षीगण उक्त आराजीयात मे होकर जबरन

Scanned by CamScanner

जानवर निकालते है तथा बेदखल करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई वेधानिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिपक्षीगण उक्त आराजीयात मे होकर जानवर निकालकर रास्ता बनाने तथा फसल को नष्ट करने पर आमादा है।

अतः प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 5 रकबा 1.45 है0 वाके ग्राम करवाडियां खास तहसील उनियारा मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना ही खेत मे होकर जानवर निकाले और ना ही फसल को नष्ट करे तथा ना ही काश्त मे बाधा डाले ।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रतिपक्षीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 17 व 18 ग्राम चक करवाडियां तहसील उनियारा पर स्थित है। जिस पर प्रतिपक्षीगण आराजी ख0न0 19 रकबा 0.03 है0 गे0मु0 नहर मे से होकर आधा रास्ता लगभग 12 फिट जिस पर ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा द्वारा ग्रेवल डाली गई है पर होकर अपनी आराजी पर पहुचते है। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा करने की नियत से अपनी आराजी ख0न0 5 मे मिलाते हुये ख0न0 19 पर भी काटेदार तार खींचकर उक्त नहर व रास्ता बिल्कुल बन्द कर दिया तथा अपने अतिक्रमण को यथावत बनाये रखने की नियत से उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पटवारी हल्का मोहम्मदपुरा के द्वारा भी दिनांक 28.6.16 को मौका रिपोर्ट तैयार की थी। जिसके अनुसार मोके पर रोशनपुरा से आमली को जाने वाला ग्रेवल रोड बना हुआ है जो कि रोशनपुरा के ख0न0 184 गे0मु0 रास्ता सि0चक दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 5 हनुमान, किशना पुत्रान प्रहलाद बाबूडी पुत्रियां कजोड जाति मीना निवासी रोशनपुरा के नाम रिकार्ड दर्ज है। ख0न0 19 व 21 गे0मु0 नहर दर्ज है। मोके पर ख0न0 19 मे से होकर आधा रास्ता लगभग 12 फिट का बना हुआ है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रवल डाली गई है। पूर्व मे यह रास्ता 12 फिट का था जो ख0न0 18 व 17 से होकर गुजरता था। मौके पर उक्त रास्ते को हनुमान किशना पुत्रान प्रहलाद मीना के द्वारा बन्द कर दिया था। ख0न0 17 मे मकान, कुआ व बाडा बना हुआ है। मौके पर रास्ता पूरी तरह बन्द कर दिया गया है। प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा को गुमराह करने की नियत से मिथ्या कथनों के आधार पर अपने अतिक्रमण को यथावत बनाये रखने के लिये उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।यदि प्रतिपक्षीगण को पाबन्द कर दिया गया तो प्रतिपक्षीगण अपने मकान पर जाने, कृषि कार्य करने व अपने मवेशियों को लाने ले जाने से वंचत हो जावेगे। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारिज किया जावे।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 वाके ग्राम करवाडियां खास मे आराजी ख0न0 5 रकबा 1.45 है0 भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर से प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है, परन्तु उक्त आराजीयात के समीप ही प्रतिपक्षीगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 16 व 17 है। ख0न0 19 व 21 सिंचाई विभाग के नाम दर्ज

Scanned by CamScanner

रेकार्ड है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा ग्रेवल रास्ते को बन्द करना बताया है। यह सही है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की होने से प्रथम दृष्टिया केस तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है यदि प्रतिपक्षीगण के द्वारा खातेदारी की भूमि मे होकर जानवर निकाला जाता है तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी। यदि प्रतिपक्षीगण को ग्रेवल सडक मे होकर उसकी खातेदारी की आराजीयात मे जाने से रोका जावेगा तो उसे भी अपूर्णीय क्षति होगी।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार कर प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वे प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मे किसी प्रकार से दखलंदाजी नही करे। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करावे। प्रतिपक्षीगण यदि ग्रेवल सडक से आते जाते है तो प्रार्थीगण उनको रास्ते में आने जाने से नही रोकेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर.ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner